सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्याः 118/विअनु0–5/स्टाम्प/2004

उत्तरांचल सरकार

वित्त अनुभाग–5

संख्या– वि0अनु0–5/स्टाम्प/(01/स्टाम्प/04)/2004

देहरादूनः दिनांक 19 जुलाई, 2004

अधिसूचना

उत्तरांचल मे उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या–2 सन् 1899) की धारा–9 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये, श्री राज्यपाल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) द्वारा उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत स्वयं अथवा संयुक्त क्षेत्र मे उद्यमियों को उपलब्ध करायी जाने वाली विकसित भूमि पर इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से दो वर्ष तक वास्तविक मूल्य के स्थान पर, सर्किल रेट के अधार पर स्टाम्प शुल्क लिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 210(1)/वि0अनु0–5/स्टाम्प/(01/स्टाम्प/04)/2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति उप–निदेशक लिथो प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे अगामी गजट में प्रकाशित कराते हुए इसकी 200 प्रतियां शासन के वित्त अनुभाग–5 को उपलब्ध करा दें।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव।

संख्या– 118(2)/वि0अनु0–5/स्टाम्प/(01/स्टाम्प/04)/2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊ एवं गढ़वाल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. न्यायी/विधायी विभाग।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव।